कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

मतदाता सूचियों के मुद्रण हेतु निविदा

क्रमांक क/लेखा/निविदा/मत.सूची मु./2021/ 813 बिलासपुर, दिनांक 15/09/2021

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार प्रतिवर्ष फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य, तथा समय–समय पर मतदान केन्द्रवार नियुक्त बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों का भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जाता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन हेतु मतदाता सूचियों की मूल प्रतियां, पूरक सूचियां अथवा एकीकृत मतदाता सूचियों का आवश्यकतानुसार मुद्रण कराने का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालय, बिलासपुर के द्वारा कराना होता है। इसी संदर्भ में जिला स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में मतदाता सूचियों के मुद्रण हेतु न्यूनतम मुद्रण दरों का निर्धारण करने हेतु इच्छुक निविदाकारों से निम्नांकित शर्तो के अधीन निविदाएं(दरें) आमंत्रित की जाती हैं :–

(1) **निविदा प्रपत्र बिक्री, जमा करने तथा खोलने की तिथियां एवं समय –**

1– निविदा प्रपत्र बिक्री का स्थान – कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) (कलेक्टोरेट, बिलासपुर (छ.ग.) के बाजू में न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर)

2– निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि–20.09.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे तक

3– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि–05.10.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे तक

4– निविदा खोलने की तिथि– 05.10.2021 को अपरान्ह 04.00 बजे से अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर के कक्ष (चेम्बर) में, समिति के समक्ष खोली जावेगी।

(2) **अन्य प्रमुख शर्ते –**

1– छत्तीसगढ़ शासन, भण्डार क्रय नियम 4.4.3 के अनुसार बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

2– नियम 4.6.1 के अनुसार निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी. एण्ड टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी ।

3– नियम 4.6.4 के अनुसार निविदा तीन लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम लिफाफे में सुरक्षा निधि द्वितीय लिफाफे में संलग्न प्रपत्र (Part-II) में दर्शित योग्यताओं एवम क्रमांक 07 तथा 09 में दर्शित जानकारियां तथा तृतीय लिफाफे में निविदा पत्रक (दरों का विवरण) रखते हुए तद्नुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा, तत्पश्चात द्वितीय लिफाफे में रखे गये अभिलेखों के अनुसार निर्धारित योग्यताओं एवम शर्तो की जांच की जायेगी । पर्याप्त सुरक्षा निधि एवम योग्यताएं/अर्हताएं पूरी होने पर ही तीसरे लिफाफे अर्थात् निविदा प्रपत्र वाले को खोला जाएगा, ।

4– नियम 4.6.5 के अनुसार जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी।

5– नियम 4.7 के अनुसार प्रत्येक निविदा के साथ मुद्रण पर होने वाले अनुमानित व्यय का कम से कम 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाएगी। इस जिले के अन्तर्गत कुल-06

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं (25–कोटा, 28–तखतपुर, 29–बिल्हा, 30–बिलासपुर, 31–बेलतरा एवं 32–मस्तुरी (अजा))। अतः इन विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के मुद्रण पर होने वाले अनुमानित व्यय के अनुसार सुरक्षा निधि रूपये 50,000.00 (पचास हजार रूपये) निर्धारित की जाती है।

6– निविदा प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रू. 50,000.00 का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट बिलासपुर में भुगतान योग्य "कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम संलग्न होना चाहिये। अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जायेगा।

7– निविदाकार को अपना पेन नंबर एवं जी.एस.टी. नंबर तथा पंजीयन की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निविदाकार को विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा। साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि, निविदाकार का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह मुद्रित मतदाता सूचियां जिला निर्वाचन कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को प्रदाय करेगा। साथ ही निविदाकार को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे पूर्व में किसी कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की चूक के लिये काली सूची (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है ।

8– नियम 4.10 के अनुसार मतदाता सूची मुद्रण के दौरान, मुद्रण किए जाने वाले स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी/कर्मचारी को होगा।

9– निविदाकार को मतदाता सूची के मुद्रण कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जावे।

10– नियम 4.11 के अनुसार प्राप्त निविदाएं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के द्वारा अधिकृत समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदाएं खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जो निविदाकार/प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए जाएंगे।

11– फोटोयुक्त मतदाता सूचियां, पेपर शीट के एक तरफ एवं दोनों तरफ मुद्रित की जावेगी। इसके अनुसार प्रति पृष्ठ एक तरफ एवं दोनों तरफ के मुद्रण दर पृथक–पृथक अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा उपरिलेखन (ओवर राईटिंग) होने पर प्रस्तुत निविदा निविदा समिति के विचारोपरांत/अभिमत के आधार पर अगान्य किया जा सकेगा। निविदा प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

12– फोटोयुक्त मतदाता सूचियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदान केन्द्रवार (भागवार) मुद्रित की जाएगी। मुद्रण हेतु पीडीएफ डेटा जिला अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार पदाभिहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

13– फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रथम पन्ने में हेडर, दूसरे पन्ने में मतदान केन्द्र का नजरी नक्शा तथा अंत में फुटर भी मुद्रित करनी होगी।

14– आवश्यकतानुसार मतदाता सूचियों की वर्किंग प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार मुद्रित कर प्रदाय करनी होगी।

15– निविदाकार को मुद्रण संबंधी अनुभवों, उपलब्ध उपकरणों, आपरेटर्स/कर्मचारियों की उपलब्धता संबंधी जानकारी भी निविदा के साथ विवरण दिया जाना आवश्यक है।

16– मतदाता सूचियां मुद्रित करने हेतु क्षमता के बारे में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

17– निविदाकार द्वारा मतदाता सूचियां मुद्रण के देयक प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार जी.एस.टी.,टी.डी.एस., आई.टी. टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

18– मतदाता सूचियाँ लेजर प्रिंटर से प्रिंट करनी होगी तथा मुद्रण का कार्य ए–4 साईज 80 जी.एस.एम. जे.के. बाण्ड पेपर में किया जाना होगा। किसी भी स्थिति में फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु कार्य आदेश में समय–सीमा निर्धारित की जावेगी तथा सफल निविदाकार निर्धारित समय–सीमा के भीतर मुद्रण कार्य पूर्ण कर मतदाता सूचियां प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा। चयनीत वेण्डर द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रतिदिन विलंब के लिये राशि रू. 1000.00 (एक हजार रूपये) के हिसाब से क्षतिपूर्ति के रूप में वेण्डर द्वारा प्रस्तुत देयक से कटौती की जायेगी तथा सुरक्षा निधि भी राजसात कर ली जावेगी। इस शर्त पर विशेष ध्यान दिया जावे।

19– समय–सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कर सकने की दशा में स्वीकृत निविदा/कार्यादेश निरस्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को कार्यादेश देने हेतु संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) को होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित चूक करने वाले निविदाकार से वसूल की जा सकेगी ।

20– विशेष परिस्थितियों में जैसे कि आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार, मतदाता सूचियों की पद्धति/प्रक्रिया/स्वरूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, तो आदेशानुसार निविदाकार को मुद्रण कार्य करना होगा।

21– मुद्रण संबंधी देयकों का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा, अतः पेन नंबर, जी. एस.टी. नंबर एवं बैंक खाता नंबर की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाये।

22– स्वीकृत निविदाकार को जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर के साथ निर्धारित प्रपत्र में नॉन–डिस्क्लोजर एग्रीमेंट संपादित करना होगा।

23– किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा, जो कि निविदाकार के लिये मान्य एवं बंधनकारी रहेगा, चूंकि यह निविदा जिला बिलासपुर में होगी, अतः किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र जिला बिलासपुर के भीतर होगा।

(जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी,
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक क/लेखा/निविदा/मत.सूची मु./2021/814 बिलासपुर, दिनांक 15/09/2021

प्रतिलिपि :—

1. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ रायपुर को निविदा की प्रति सहित सूचनार्थ एवम राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
2. जिला नाजिर, जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को प्रेषित। वे उपरोक्त निविदा जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावें।
3. ———————————————— को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी,
बिलासपुर (छ.ग.)

Part-II

1-Details of the Tenderer-

a.Name of Tenderer(capital letters only)...
....

b. Consistency of the Tenderer(Whether company

partnership, firm or proprietary concern)...

....

c.Registration in corporation of the firm...

d.GST NO............................

e.PAN N0............................

2.Address (Capital letters only)...

....

3.Telephone/Fax No./Mob.No...

4.Datails of /Experience having for similar type of work

(at least 03 years experience certificate)...

....

5. उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर आदि) का विवरण ....

....

6 उपलब्ध आपरेटर्स/कर्मचारियों का विवरण (नाम एवम मोबा.नं. सहित)..

....

7 Details of last 03 years Income Tax Return(Attach copy also)

I/We agree to accept the Printing of voter list,Work as per rates given in part III and in accordance with the JOB SPECIFICATION AND TERMS &CONDITION as laid out in the tender document.

Place:

Date: Signature

(Name Designation and
Office seal of the authorized Person

Part –III

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण हेतु निविदा प्रपत्र

कमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरें (अंको एवं शब्दो में)	टेक्स
1	2	3	4
1	फोटोयुक्त मतदाता सूची का मुद्रण /लेजर प्रिंट की दर प्रति पन्ना अर्थात दोनो तरफ मुद्रण की दर		
2	फोटोयुक्त मतदाता सूची का मुद्रण /लेजर प्रिंट की दर प्रति पन्ना (पन्ने के एक तरफ मुद्रण की दर)		
3	आवश्यकतानुसार फोटोकापी (अन्य कार्यो का) करने की दर (प्रति पन्ना) अर्थात दोनो तरफ फोटो कापी करने की दर		
4	आवश्यकतानुसार फोटोकापी (अन्य कार्यो का) करने की दर (प्रति पन्ना) अर्थात एक तरफ फोटो कापी करने की दर		

निविदाकार के हस्ताक्षर

नामः————————————

फर्म का नाम /पूर्ण पता————————

————————————

————————————

मोबाइल नम्बरः————————

प्रेस विज्ञप्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर(छ.ग.) की ओर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मुद्रण कर, प्रदाय करने हेतु दर निर्धारण बाबत संबंधित मुद्रकों/फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं उसके संबंध में विस्तृत विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय, बिलासपुर से रूपये 500.00, रू.पाँच सौ मात्र(शीर्ष मांग संख्या 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं ख निर्वाचन फीस एवं प्राप्तियाँ) चालान के माध्यम से जमा कर, दिनांक 20.09.2021 अपरान्ह 03.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 05.10.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 05.10.2021 को सायं 04.00 बजे खोली जायेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी,
बिलासपुर(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

निविदाविज्ञप्ति पृ.क्रमांक क/लेखा/2021/815 बिलासपुर, दिनांक 15/09/2021

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, बिलासपुर को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया कलेक्टर बिलासपुर की बेबसाइट पर उपरोक्त प्रेस विज्ञाप्ति की प्रति अपलोड करने का कष्ट करें।
3. जिला नाजिर, जिला कार्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ अग्रेषित। वे उपरोक्त संक्षिप्त निविदा जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावें।
4. ....को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी,
बिलासपुर(छ.ग.)